रक्षा संपदा संगठन

सेवा प्रोफाईल

भारतीय रक्षा संपदा सेवा

(आईडीईएस)

पुनर्विलोकन

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के अंतर्गत संगठित समूह ''क'' केन्द्रीय सिविल सेवा है। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। यह विभाग 16 दिसम्बर, 1926 को अस्तित्व में आया। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के विकास का हमारे देश के वर्तमान इतिहास के साथ गहरा संबंध है। इस सेवा को शुरूआत में सेना भूमि तथा छावनी सेवा और बाद में रक्षा भूमि और छावनी सेवा के नाम से जाना गया। 1985 से इस सेवा को औपचारिक रूप से भारतीय रक्षा संपदा सेवा के वास्तविक नाम से जाना जाता है। भारतीय रक्षा संपदा सेवा (समूह 'क') नियम, 2013 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा 75% तथा पदोन्नति द्वारा 25% भर्ती की जाती है।

संगठनात्मक संरचना

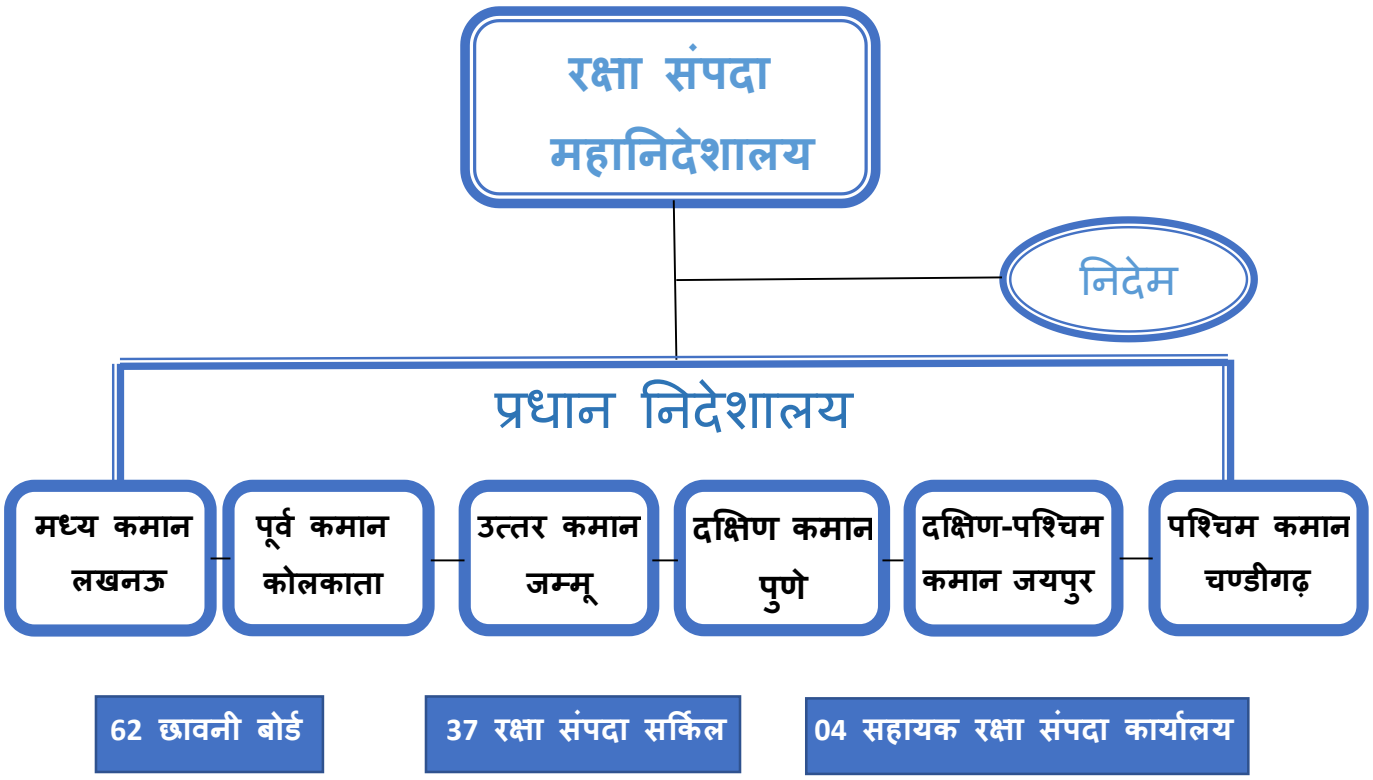

संरचना का विवरण

इस सेवा की संरचना तीन स्तरीय है। दिल्ली छावनी स्थित महानिदेशालय सर्वोच्च स्तर पर है। महानिदेशालय को चलाने वाले अधिकारी भारतीय रक्षा संपदा सेवा के सदस्य हैं। महानिदेशालय के प्रमुख महानिदेशक हैं जो अपेक्स वेतनमान (रू.80,000/- नियत) में होते हैं । महानिदेशालय में एक वरिष्ठ अपर महानिदेशक (एच.ए.जी.) और 04 अपर महानिदेशक (एस.ए.जी.) हैं जो विशेष प्रभागों के प्रभारी होते हैं। महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय और सेवा मुख्यालयों को सभी छावनी और भूमि मामलों में परामर्श देता है। यह छावनी अधिनियम, 2006, नियमों और विनियमों, सरकार की नीतियों तथा अधिशासी अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। महानिदेशालय उपभोक्ता सेवाओं की भूमि और भवनों की आवश्यकताओं को अधिग्रहण, मांग या किराए के माध्यम से पूर्ण करता है।

मध्यम स्तर में क्षेत्रीय मुख्यालयों के रूप में निदेशालय हैं जो फील्ड कार्यालयों का प्रबंध करते हैं। यहाँ 6 सेना कमानों के साथ 06 निदेशालय हैं। ये लखनऊ, पुणे, जम्मू, कोलकाता, चंडीगढ़ और वर्ष 2006 में स्थापित सबसे नई कमान दक्षिण-पश्चिम कमान, जयपुर में स्थित हैं। निदेशालय के प्रमुख प्रधान निदेशक (एच.ए.जी.) होते हैं और निदेशक (एस.ए.जी.) तथा अन्य स्टाफ अधिकारी, सभी भा.र.सं. सेवा, प्रधान निदेशक की सहायता करते हैं।

फील्ड स्तर पर 62 छावनी बोर्डों में मुख्य अधिशासी अधिकारी और 37 रक्षा संपदा सर्किलों में रक्षा संपदा अधिकारी तथा 04 सहायक रक्षा संपदा कार्यालय हैं जो प्रशासनिक कार्य में अग्रणी होते हैं। मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी का कार्यकारी प्रमुख होता है और दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है । रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। मुख्य अधिशासी अधिकारी और रक्षा संपदा अधिकारी दोनों भा.र.सं.सेवा के अधिकारी होते हैं।

राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (निदेम) विभागीय प्रशिक्षण संस्थान है जो प्रोबेशनर अधिकारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा विभाग के अधिकारियों व अन्य स्टाफ को सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है। इसके प्रमुख, निदेशक (एस.ए.जी.) हैं तथा इनकी सहायता के लिए 02 संयुक्त निदेशक (जे.ए.जी.) होते हैं।

मानव संसाधन

रक्षा संपदा संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संगठन की कुल संख्या लगभग 18,251 है। इस जनशक्ति का अलग–अलग विवरण निम्नलिखित है :

क) भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) में अपेक्स (सचिव) स्तर के 01 पद, उच्च प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव) स्तर के 07 पद और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संयुक्त सचिव) स्तर के 19 पदों सहित 189 समूह 'क' अधिकारी हैं;

ख) छावनी अधिशासी अधिकारी समूह 'ख', सहायक रक्षा संपदा अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव, सभी समूह 'ख', सहित 78 अधिकारी हैं;

ग) भूमि प्रबंधन के कार्य में लगे तकनीकी, लिपिकीय तथा सहायक स्टाफ की संख्या 984 है;

घ) छावनी बोर्डों में लगभग 17,000 कार्मिक कार्य कर रहे हैं जो छावनियों के सिविल प्रशासन में कार्यरत हैं;

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) संवर्ग छोटा होने के बावजूद भी उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन की विजन घोषणा, जो प्रगतिशील प्रशासन की भावना प्रस्तुत करती है, निम्नलिखित है :-

"रक्षा संपदा संगठन का विजन छावनियों को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करना है जो अपने निवासियों, वर्दीधारी कार्मिकों और सिविलियनों दोनों, को उपयुक्त वातावरण और शहरी जीवन प्रदान करती है; भू-प्रबंधन की ऐसी प्रणाली की स्थापना करना जो रक्षा भूमि की सख्ती से रक्षा करती है और इसके इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है; और जो लोग इसके संपर्क में आते हैं उन्हें अधिकतम संतुष्टि देना है"।

कार्य

रक्षा संपदा संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) लगभग 17.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन;

(ख) 62 छावनी बोर्डों का प्रशासन - छावनी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित अधिकाधिक छावनियों में स्थानीय स्वशासन के संस्थान;

(ग) छावनियों को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करना जिसमें सभी स्कूली बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य संरक्षा, बुजुर्गों, समाज के निशक्त व अशक्त वर्गों के लिए सामाजिक संरक्षण प्रणाली के प्रावधान शामिल हैं;

(घ) रक्षा प्रयोजन के लिए अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, किराये पर लेना व मांग की पूर्ति;

(ड़) रक्षा भूमि का नियमित सर्वेक्षण;

(च) रक्षा भूमि के उपयोग को इष्टतम बनाए रखने के साथ-साथ उसकी नियमित लेखा-परीक्षा (ऑडिट);

(छ) भूमि के रिकॉर्ड के नियमित अद्यतन सहित भूमि के सही डिजीटल रिकॉर्डों का रख-रखाव;

(ज) पुराने या फटे हुए कागज (पेपर) रिकॉर्डों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण और उनको अधिक टिकाऊ प्रपत्रों में बदलने सहित पुराने रिकॉर्डों को रखने के लिए अत्याधुनिक अभिलेखागार का रख-रखाव;

(झ) अपने प्रबंधन के अधीन रक्षा भूमि के अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने सहित इन्हें रोकना;

(ट) रक्षा भूमि निपटान;

(ठ) रक्षा प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाली मुकदमेबाजी को निपटाना;

(ड) रक्षा भूमि के स्वामित्व पर मुकदमेबाजी और वाद को निपटाना;

(ढ) विशेष कानूनों जैसे छावनी अधिनियम, 2006; सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971; मध्यस्थता अधिनियम; किराया नियंत्रण अधिनियम आदि के अंतर्गत सौंपे गए अर्ध-न्यायिक कार्यों को निष्पादित करना।

पुनर्विलोकन

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) भारत सरकार की एक समूह ''क'' सिविल सेवा है। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रक्षा संपदा संगठन के लिए काम करते हैं। इस संगठन का उदगम 1926 में हुआ जब गवर्नर जनरल की परिषद ने छावनी विभाग को स्थायी तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया।

रक्षा संपदा संगठन छावनियों में छावनी बोर्डों के माध्यम से सिविल मामलों का प्रबंध एवं प्रशासन करता है। ये बोर्ड सांविधिक स्थिति वाले स्वशासन के स्थानीय स्वायत्त निकाय हैं। इन बोर्डों में मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में आईडीईएस अधिकारियों की तैनाती की जाती है। इस दृष्टि से उन्हें अन्य लोगों के लिए 'प्रेरणा स्रोत' के समान काम करने का अवसर मिलता है और स्थानीय निवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के मुख्य स्रोत बन जाते हैं। छावनी बोर्डों के लिए छावनियों में स्कूल, अस्पताल, मूलभूत संरचना (जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, पानी की आपूर्ति आदि), अच्छा वातावरण और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।

देश के सभी 62 छावनी बोर्ड सशस्त्र बलों और स्थानीय सिविल आबादी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध प्रतिबिंबित करते हैं। अधिकतर छावनी बोर्ड प्राचीन बहुमूल्य पारंपरिक संपदा के साथ-साथ ओल्ड ग्रांट बंगले, अन्य भूमि पट्टे, महत्वपूर्ण स्मारक, महत्वपूर्ण दस्तावेज और लोक साहित्य समेटे हुए हैं। अन्य शब्दों में छावनी बोर्ड अपने चारों ओर फैले हुए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानीय प्रतिबिंबित हैं।

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में से सबसे बड़ा भूमिधारक है। लगभग 17.57 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली रक्षा भूमि के कई प्रयोक्ता हैं जैसे सेना, नौसेना, वायु सेना तथा अन्य संगठन जैसे आयुध फैक्ट्री बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए और सीजीडीए आदि। रक्षा संपदा संगठन रक्षा भूमि का अधिकतम

उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह संगठन देश के विभिन्न भागों में स्थित 37 रक्षा संपदा कार्यालयों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय की भूमि के मालिकाना, अधिभोग, किराएदारी और अन्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षित करता है। इन रक्षा संपदा कार्यालयों के प्रमुख भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारी होते हैं।

रक्षा संपदा संगठन के कार्य

रक्षा संपदा संगठन के निम्नलिखित कार्य हैं:-

(क) 37 रक्षा संपदा कार्यालयों के अधीन पूरे देश में फैली लगभग 17.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन।

(ख) 62 छावनी बोर्डों का प्रशासन - छावनी अधिनियम, 1924 (अब 2006) के तहत अधिसूचित अधिकाधिक छावनियों में स्थानीय स्वशासन के संस्थान।

(ग) रक्षा प्रयोजन के लिए अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, किराये पर लेना व मांग की पूर्ति।

(घ) रक्षा भूमि का निपटान।

(च) रक्षा प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाली मुकदमेबाजी को निपटाना।

(छ) रक्षा भूमि के स्वामित्व पर मुकदमेबाजी और वाद को निपटाना।

(ज) विशेष कानूनों जैसे छावनी अधिनियम, 2006; सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971; मध्यस्थता अधिनियम; (यूएलसी अधिनियम, 1976), किराया नियंत्रण अधिनियम आदि के अंतर्गत सौंपे गए अर्ध-न्यायिक कार्यों को निष्पादित करना।

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) में भर्ती

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (समूह 'क') नियम, 1985 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा 75% तथा पदोन्नति द्वारा 25% भर्ती की जाती है।

प्रशिक्षण

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (निदेम) में सीधी भर्ती तथा पदोन्नत आईडीईएस अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अधिकारियों को सेवा में स्थायी किया जाता है। साथ ही आईडीईएस अधिकारियों को अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। अधिकारियों को विशेष कोर्सों में भाग लेने के लिए अन्य प्रशिक्षण संस्थान में भी भेजा जाता है।

भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों द्वारा फील्ड पोस्टिंग के दौरान धारित पद

(1) मुख्य अधिशासी अधिकारी (छावनी बोर्डों में)

(2) रक्षा संपदा अधिकारी

वेतन संरचना सहित महानिदेशालय और निदेशालय में पद

क्र. सं.	निदेशालय में पद	महानिदेशालय में पद	समयमान	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	.....	महानिदेशक, रक्षा संपदा	सचिव स्तर का पद	80,000 रू. (नियत) अपैक्स स्केल	
2	प्रधान निदेशक	वरिष्ठ अपर महानिदेशक	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	67,000 - 79,000	.....
3	निदेशक	अपर महानिदेशक	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	37,400 - 67,000	10,000/-
4	संयुक्त निदेशक	उप महानिदेशक	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड)	37,400 - 67,000	8,700/-

5	संयुक्त निदेशक	उप महानिदेशक	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य ग्रेड)	15,600 - 39,100	7,600/-
6	उप निदेशक	सहायक महानिदेशक	वरिष्ठ समयमान	15,600 - 39,100	6,600/-
7	सहायक निदेशक	सहायक महानिदेशक	कनिष्ठ समयमान	15,600 - 39,100	5,400/-

आईडीईएस अधिकारियों की अन्य संगठनों/निकायों में नियुक्ति

भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ संगठनों, पीएसयू और केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है।

पदोन्नति

अपनी कैरियर अवधि में आईडीईएस अधिकारी रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय और यूपीएससी के वरिष्ठ सिविल सेवकों की समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों, सतर्कता अनापत्ति और अधिकारी के समग्र रिकॉर्ड की छानबीन के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं।